

35/2/2022




INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	IN-UP34090417773700
Certificate Issue Date	25-JUN-2022 11:29 AM
Account Reference	NONAGG (EV) 14110804 JAUNPUR/UP/JNP
Uttar Div. Reference	SUBV-UP/UP/1410804/4/1000000000
Purchased by	A S S P J M ASHOK YADAV SO SWAYAMBAR YADAV
Description of Document	Article 28 Lease
Property Description	VILLAGE PATRIMAN, HOPA AND BISAUR PAR AND TEH KERAKAT JAUNPUR
Generation Part (No.)	1
First Party	T M P J M ASHOK YADAV SO SWAYAMBAR YADAV
Second Party	A S S P J M ASHOK YADAV SO SWAYAMBAR YADAV
Stamp Duty Paid By	A S S P J M ASHOK YADAV SO SWAYAMBAR YADAV
Stamp Duty Amount (Rs.)	₹ 500 (Five Hundred Only)




35/2/2022
 11:29 AM
 NONAGG (EV) 14110804
 SUBV-UP/UP/1410804/4/1000000000
 A S S P J M ASHOK YADAV SO SWAYAMBAR YADAV

 [Signature]
 [Stamp]

 [Signature]
 [Stamp]

0004733772



श्री. सुधाकर

सुधीर सुधाकर

15-07-2022

लीज डीड (पट्टा विलेख)

1.	विलेख का प्रकार :	लीज डीड
2.	किराया :	1000/- रुपये मासिक त्रैमासिक किराया 12000/- रुपये।
3.	भारियत :	मुद्रा 72,000/- रुपये।
4.	वेब स्टाम्प :	मुद्रा 1500/- रुपये।
5.	ग्राम :	पतरसी व कोला व बिसीरी
6.	तहसील :	कैराकत
7.	तहसील :	कैराकत
8.	जिला :	जीनपुर
9.	आपत्ति का विवरण :	आपत्ती स्थित ग्राम पतरसी, मरगना व तहसील-कैराकत, जिला-जीनपुर आडनं 87/0.547 हे० सम्पूर्ण व आपत्ती स्थित ग्राम-कोला, पतरसा व तहसील-कैराकत, जिला-जीनपुर आडनं 88/0.073 हे० सम्पूर्ण व आपत्ती स्थित ग्राम-बिसीरी, पतरसा व तहसील-कैराकत, जिला-जीनपुर आडनं 89/0.300 हे० में अपना सम्पूर्ण अर्ध 0.254 हे०। कुल रकबा 0.874 हे० यानी 870022 वर्गमीटर।

श्री. सुधाकर

श्री. सुधाकर

अशोक महाविद्यालय, पतरही, जौनपुर द्वारा प्रबन्धक अशोक यादव पुत्र
रतन लक्ष्मण यादव निवासी ग्राम-बनौली खुर्द, पोस्ट- रामपुर, तहसील-
सैदपुर, जिला-भाजौपुर मो. नं० 8901892388.

..... प्रथम पक्ष सदस्यकर्ता।

४

अशोक शिक्षण समिति ग्राम-पतरही, पोस्ट- पतरही, तहसील- कौराकल
जिला- जौनपुर द्वारा प्रबन्धक अशोक यादव पुत्र का लक्ष्मण यादव निवासी
ग्राम-बनौली खुर्द, पोस्ट- रामपुर, तहसील- सैदपुर, जिला-भाजौपुर मो. नं०
8901892388.

..... द्वितीय पक्ष सदस्य उद्दिष्ट।

विदित हो कि इन प्रथम पक्ष की आशजी स्थित गौजा पतरही, परगना व
तहसील-कौराकल, जिला जौनपुर आकनं० 67/054788 सम्पूर्ण व स्थित
पैजा-खोपद परगना व तहसील-कौराकल, जिला-जौनपुर आकनं० 78/1187388
सम्पूर्ण व स्थित सीधा-बिसीरी, परगना व तहसील-कौराकल, जिला-जौनपुर
आकनं० 757/030088 में अपना सम्पूर्ण क्षेत्र 2254 ई० कुल रकबा 0.874888
बानी 8168.22 वर्गमीटर में अशोक महाविद्यालय, पतरही, जौनपुर का संकलनीय
भूनिष्पन्न मालिक व मालिक है। उक्त भूभाग हर प्रकार की चार से पांच म साफ
है समस्त आशजी किसी विधाय को रहन, बसा या अनुबन्धित नहीं है। द्वितीय
पक्ष की अपनी उक्त भूमि को अशोक शिक्षण समिति ग्राम- पतरही, पोस्ट-
पतरही, तहसील- कौराकल जिला- जौनपुर द्वारा प्रबन्धक अशोक यादव पुत्र
रतन लक्ष्मण यादव निवासी ग्राम-बनौली खुर्द, पोस्ट- रामपुर, तहसील-
सैदपुर, जिला-भाजौपुर के कार्य के लिए भूमि की आवश्यकता है इसलिए
द्वितीय पक्ष ने इन प्रथम पक्ष से विवेदन किया कि आशजी समस्तता को द्वितीय
पक्ष को अशोक शिक्षण समिति के कार्य के लिए लीज पर है है, तो इन प्रथम

पक्ष द्वितीय पक्ष को निवेदन को स्वीकार करते हुए उपरोक्त स्थित भौजा पतखड़ी, परगना व तहसील-कंसाकर, जिला जौनपुर आबनं 87/0.54780 सम्पूर्ण व स्थित भौजा-भोधा, परगना व तहसील-कंसाकर, जिला-जौनपुर आबनं 79/0.07380 सम्पूर्ण व स्थित भौजा-बिसीरी, परगना व तहसील-कंसाकर, जिला-जौनपुर आबनं 757/0.30080 में अपना सम्पूर्ण अंश 0.254 हेठ कुल कच्चा 0.87480 बानी 8758-22 वर्गमीटर को मु० 12000/- रूपया वार्षिक किराये पर मात्र 30 वर्ष के लिए लीज पट्टा पर देने को तैयार हुए जिसे द्वितीय पक्ष ने स्वीकार किया। इस समझौते में आवश्यक समझा कि समझौते के गलत लीज डीज तदर्थीय हो जाये। ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई निजा उत्पन्न न हो। इसलिए हम समझौते खूब सोच समझकर अपनी अमलाद हाम व तक इनाया से बिना किसी जाह व पश्चा के चेतनायुक्त रहते हुए यह लीज डीज पट्टा निम्नलिखित शर्तों पर तदर्थीय कर रहे हैं-

1. यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त भूखण्ड को माफ़ी है और इसे द्वितीय पक्ष को मात्र 30 वर्ष के लिए पट्टा पर देना स्वीकार किया है।
2. यह कि जायदाद पट्टाखुवा का तासिक किराया मु० 1000/-रूपये (एक हजार रुपये) मात्र के प्रथम रास्तके में प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से प्राप्त करने र्हेगे।
3. यह कि द्वितीय पक्ष को पक्ष में यह किरायेदारी आज दिनांक 05.07.2022 से प्रारम्भ होकर मात्र 30 वर्ष तक रहेगी। पट्टा आवृत्ति को समाप्त के उपरान्त वन पक्ष आपसी सहमति के अन्तर्गत पर इसका नवीनीकरण करायेगा।
4. यह कि प्रथम पक्ष ने दिनांक 05.07.2022 से ही उपरोक्त भूखण्ड से अपना कच्चा पखल हटा कर द्वितीय पक्ष को कच्चा पखल दे दिया है।
5. यह कि द्वितीय पक्ष पट्टाखुवा आसानी पर आवश्यकतानुसार अपने खर्च से बिजुल व टेलीफोन जानेबरान, अपनी सुविधानुसार जेगा विद्युत बिजुल व अन्य जो देय होगा का मुकदाम कराया रहेगा।







- 6. यह कि द्वितीय पक्ष पढ़ते वाली नुमि पर शक्ति काम के प्रदर्शनी के लिए अवधीन व उपयुक्त करिना व द्वितीय पक्ष अपनी आवश्यकतानुसार सीमेंटक्रेट निर्माण, मजदूरी निर्माण व कार्यलय निर्माण व फर्नीचर, लैब आदि बनवाने का पूरा अधिकार होगा व द्वितीय पक्ष को भविष्य में किसी को पक्ष में भी अवधीन अवधि के लिए सम्बन्धित करने का अधिकार होगा। सबलोजी को भी वही अधिकार प्राप्त होंगे। जो द्वितीय पक्ष को प्राप्त है।
- 7. यह कि तमय पक्ष ने पढ़ता दस्तावेज की उपरोक्त शर्तों को बरसूरी पक्ष व पढ़ना कर श्रुत व समझ लिया है कोई उद्यम नहीं है। उक्त पढ़ता दस्तावेज की पाबंदी हम तमय पक्ष व वारिसान तमय पक्ष पर तर्कित नहीं रहनी।

अतः यह दस्तावेज पढ़ता (लौजदीय) अपने मन व मरिदाका की स्वच्छावस्था में बिना किसी इबाद नाजायज को बरसूरी राजगन्दी अन्ना मंजहान लिख दिया कि संपद रहे व यज्ञ परकस्त पर काम आए।

विवरण जायदाद जिसके बाबत लीज बीड (पढ़ता) तहरीर किया जा रहा है।

आसली बिउल बीजा पतरही, परगना- व तहसील-कंचकत, जिला-जीनपुर आरनं० 87 / 054720 सम्पूर्ण व सिधा बीजा-पुषा, परगना व तहसील-कंचकत, जिला-जीनपुर आरनं० 78 / 007380 सम्पूर्ण व सिधा बीजा-बिसीपी, परगना व तहसील-कंचकत, जिला-जीनपुर आरनं० 757 / 020020 में अपना सम्पूर्ण अंश 0.254 हे० कुल रकमा 0.874 हे० पानी 10765.22 बरमीटर दिखनी बीहददी निम्नलिखित है-

[Signature]


[Signature]


आराजी नं० ४७ स्थित मीजा-भतरही, परगना व तहसील-केराकत,
जिला-जौनपुर की भीहदी

पूरब : खेत लालमन बिन्द
पश्चिम : जमीन बशीदा महाविद्यालय भतरही व आबादी जगादि आदि
उत्तर : जमीन बशीदा महाविद्यालय भतरही
दक्षिण : खेत लालमन बिन्द आदि

आराजी नं० ७३ स्थित मीजा-कोचा, परगना व तहसील-केराकत,
जिला-जौनपुर की भीहदी

पूरब : जमीन बशीदा महाविद्यालय भतरही जौनपुर
पश्चिम : बकमार्ग खडनजा
उत्तर : बकमार्ग खडनजा
दक्षिण : खेत लालमन बिन्द

आराजी नं० २६७ स्थित मीजा-बिसौरी, परगना व तहसील-केराकत,
जिला-जौनपुर की भीहदी

पूरब : बकमार्ग खडनजा
पश्चिम : खेत लालमन बिन्द
उत्तर : खेत लालमन
दक्षिण : जमीन बशीदा महाविद्यालय भतरही जौनपुर

दिनांक:-05.07.2022 ई०





गवाह:-


दशरथ साहू

1. सधैराज साहू पुत्र सुरेश साहू
निवासी ग्राम-खानपुर, तासील
सिंदपुर, जिला-गार्जीपुर। मोबा-9419309003



सुरेश साहू

2. सुरेश साहू पुत्र रघु साहनारायण साहू
निवासी ग्राम-जहरामपुर, थरिया, पोस्ट-मुनारी
तारसील-सदर, जिला-महाराष्टी।
मोबा-9811034104



A handwritten signature in black ink above a dark, circular stamp.

A handwritten signature in black ink above a circular stamp.


नजदीक नरका काठवा स्थित ग्राम-पतरही आठनं० ७७ व स्थित ग्राम-कोषा आठनं० ७६ व स्थित ग्राम-विशीरी आठनं० ७५७ परगना व तहसील-कंठकट, जिला-जौनपुर।

स्थित ग्राम-पतरही आठनं० ७७

जमीन मालीका महाविद्यालय

पतरही व अनादी जगद्विज आदि

जमीन मालीका महाविद्यालय पतरही




जमीन मालीका महाविद्यालय

श्रीत लालनन विन्ध आदि

स्थित ग्राम-कोषा आठनं० ७६

ककमारी खरवाजा

जमीन मालीका महाविद्यालय



जमीन मालीका महाविद्यालय

श्रीत लालनन विन्ध

स्थित ग्राम-विशीरी आठनं० ७५७

श्रीत अयोध्या


जमीन मालीका महाविद्यालय



जमीन मालीका महाविद्यालय

जमीन मालीका महाविद्यालय


पतरही जौनपुर



दस्तावेजकर्ता:- रावीश भट्ट, जौनपुर, जौनपुर।

संज्ञक संख्या-७५-०७-०२३

साक्षिपत्रकर्ता:- राजेश प्रसाद शर्मा, जौनपुर, जौनपुर।



भारत सरकार
आधार-आम आदमी का अधिकार

नाम
 Ashok Yadav
जन्म तिथि DOB: 05/04/1979
लिंग (GENDER)
 MALE

3041 4880 3610

भारत सरकार
आधार-आम आदमी का अधिकार

पता
 10, बरौली, पीर गारु, बरौली, उत्तर प्रदेश, 201320

Address
 10, Baroli, Peer Garu, Baroli, Uttar Pradesh, 201320

3041 4880 3610

भारत-आम आदमी का अधिकार

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

भारत सरकार
आधार-आम आदमी का अधिकार

नाम
 Ashok Yadav
जन्म तिथि DOB: 05/04/1979
लिंग (GENDER)
 MALE

3041 4880 3610

भारत सरकार
आधार-आम आदमी का अधिकार

पता
 10, बरौली, पीर गारु, बरौली, उत्तर प्रदेश, 201320

Address
 10, Baroli, Peer Garu, Baroli, Uttar Pradesh, 201320

3041 4880 3610

भारत-आम आदमी का अधिकार

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

भारत सरकार
आधार-आम आदमी का अधिकार

नाम
 Sushil Kumar
जन्म तिथि DOB: 15/03/1977
लिंग (GENDER)
 MALE

7583 9611 1357

भारत सरकार
आधार-आम आदमी का अधिकार

पता
 10, बरौली, पीर गारु, बरौली, उत्तर प्रदेश, 201320

Address
 10, Baroli, Peer Garu, Baroli, Uttar Pradesh, 201320

7583 9611 1357

आधार - आम आदमी का अधिकार

Aadhaar - Aam Admi ka Adhikar

भारत सरकार
आधार-आम आदमी का अधिकार

नाम
 Manoj Yadav
जन्म तिथि DOB: 15/03/1977
लिंग (GENDER)
 MALE

4665 5421 3674

भारत सरकार
आधार-आम आदमी का अधिकार

पता
 10, बरौली, पीर गारु, बरौली, उत्तर प्रदेश, 201320

Address
 10, Baroli, Peer Garu, Baroli, Uttar Pradesh, 201320

4665 5421 3674

आधार - आम आदमी का अधिकार

Aadhaar - Aam Admi ka Adhikar

आवेदन सं- 3032/04/56/000000

यही संख्या 1 दिनांक संख्या 4533 के अधीन 1 से 16 तक क्रमांक 3313 पर दिनांक 08/07/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



10/07/2022

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के इस्तेमाल


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

उप-निदेशक, जयपुर


जयपुर
08/07/2022

Name : _____ Date : _____

श्री अशोक राम शर्मा पुत्र श्री रामचंद्र शर्मा निवासी आंध्र प्रदेश राजधानी अंध्र प्रदेश राजधानी


श्री अशोक राम शर्मा पुत्र श्री रामचंद्र शर्मा निवासी आंध्र प्रदेश राजधानी अंध्र प्रदेश राजधानी

दिनांक २०/०५/२०२१ को आंध्र प्रदेश राजधानी अंध्र प्रदेश राजधानी



श्री अशोक राम शर्मा पुत्र श्री रामचंद्र शर्मा निवासी आंध्र प्रदेश राजधानी अंध्र प्रदेश राजधानी

दिनांक २०/०५/२०२१ को आंध्र प्रदेश राजधानी अंध्र प्रदेश राजधानी



श्री अशोक राम शर्मा पुत्र श्री रामचंद्र शर्मा


दिनांक २०/०५/२०२१

श्री अशोक राम शर्मा पुत्र श्री रामचंद्र शर्मा

दिनांक २०/०५/२०२१ को आंध्र प्रदेश राजधानी अंध्र प्रदेश राजधानी

दिनांक २०/०५/२०२१

दिनांक २०/०५/२०२१



श्री अशोक राम शर्मा पुत्र श्री रामचंद्र शर्मा

दिनांक २०/०५/२०२१ को आंध्र प्रदेश राजधानी अंध्र प्रदेश राजधानी

दिनांक २०/०५/२०२१



अशोक राम शर्मा

अशोक राम शर्मा

अशोक राम शर्मा

अशोक राम शर्मा

अशोक राम शर्मा

अशोक राम शर्मा

अशोक राम शर्मा

अशोक राम शर्मा

२०२१

સંખ્યા: ૨૦૨૦/૨૦૨૦

વ્યાજવહી જમીનના


સંખ્યા: ૨૦૨૦/૨૦૨૦

સંખ્યા: ૨૦૨૦/૨૦૨૦

સંખ્યા: ૨૦૨૦/૨૦૨૦

સંખ્યા: ૨૦૨૦/૨૦૨૦

સંખ્યા: ૨૦૨૦/૨૦૨૦



સંખ્યા: ૨૦૨૦/૨૦૨૦

સંખ્યા: ૨૦૨૦/૨૦૨૦

સંખ્યા: ૨૦૨૦/૨૦૨૦

संख्या



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीकरण संख्या 70E /2013-14

फाइल संख्या V- 26787

एवंद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि अशोक शिक्षण समिति राम मल्हारी

पोस्ट मल्हारी, तहसील औरंगाबाद, जिला जौनपुर ।

को दिने नये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1307 /2002-03

दिनांक 20-11-2002 को दिनांक 29-11-2012 से संबंधित

की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

1450/- रुपये की नवीकरण शीत सम्बन्ध रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 30-07-2013


सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

संस्था द्वारा सिर्फ सांसाइट्रीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत
पंजीकृत होने के आधार पर ऐसे कार्यक्रमों का न तो संचालन किया
जायेगा और न ही किसी उपाधि पर इनाम पत्र प्रदान किया जायेगा।
किसका संचालन राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा विधि द्वारा
स्थापित बोर्डो/विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। पंजीकृत संस्थाओं
को ऐसा करने के पूर्व राज्य सरकार/भारत सरकार से विधिवत
अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(संयोजन संख्या 1882/संलग्न-1-2007 तथा विद्या अनुसंधान-1 दिनांक 08
अगस्त 2007 एवं एजिक्टोस नम्बर सांसाइट्रीज एक्ट विद्यन भाषा, लखनऊ के तार सं।
1200-1202/संलग्नक दिनांक 28-11-2007 के अनुसंधान में)

स्मृति-पत्र

- | | |
|--|---|
| <p>1- संस्था का नाम</p> <p>2- संस्था का पता</p> <p>3- संस्था का कार्य क्षेत्र</p> <p>4- संस्था का उद्देश्य</p> | <p>— यशोदा महाविद्यालय ।</p> <p>— एक आजीव पौष्ट खासी कलेज—कंठकत जिला जौनपुर ।</p> <p>— सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।</p> <p>— संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बालक — बलिभाजों के शैक्षणिक विकास के लिये आइएलसी, एनटी, एमिग्रा, हाईस्कूल, हाईस्कूल इन्टरमीडिएट एवं महाविद्यालय की स्थापना करना तथा प्रस्ताव संघालन करना । । 2. एडीए विद्या भवाले के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं का प्रसार करना । 3. सम्पूर्ण एवं आधुनिक विज्ञान प्रविशान की व्यवस्था करना तथा प्रसार संघालन करना । 4. महिलाओं के विकास के लिये क्लबाई, क्लबाई, बुनारी, क्लबाई, क्लबाई आदि के विज्ञान प्रविशान की व्यवस्था करना तथा प्रसार संघालन करना । 5. प्रौद्योगिकी एवं वास्तविकता की स्थापना करना तथा प्रस्ताव संघालन करना । 6. गरीबों के विकास के लिये एवं अल्पसंख्यक जातियों के विकास के लिये निरनुत्क विद्या का प्रसार करना । 7. अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थापना एवं संघालन करना । अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिये हर संभव प्रयास करना । 8. पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यटन प्रवृत्त के बारे में जागरूकता प्रदान करना तथा प्रवर्धन करना । 9. सामाजिक एवं हाईस्कूल की विज्ञान प्रविशान की व्यवस्था करना तथा प्रसार संघालन करना । |
|--|---|

अतिरिक्त

अतिरिक्त

1990-1991

यशोदा महाविद्यालय

यशोदा महाविद्यालय

1991-1992

रिजिस्ट्रार

यशोदा महाविद्यालय

रिजिस्ट्रार

3. प्रस्तावित विधियों के कार्यालयों एवं सदस्यों के नाम/पिता/पति का नाम एवं पता एवं जन्मदिन/संस्था के विधियों के अनुसार कार्य का शीर्षक एवं है।

क्र.सं.	नाम /पिता /पति	श्रेणी	पद	कार्यालय
1.	मुन्दी साहू साधव पुत्र श्री रामेश्वर सिंह साधव	कानूनी-राष्ट्रपुत्र गान्धीपुर।	अध्यक्ष	सीकरी
2.	सोनी साधव पुत्र श्री स्वयंभर साधव	कानूनी, राष्ट्रपुत्र गान्धीपुर।	उपाध्यक्ष	सीकरी
3.	जारीया साधव पुत्र श्री रामेश्वर साधव	कानूनी, राष्ट्रपुत्र गान्धीपुर।	प्रबन्धक	रुपि
4.	शारदासाहू सिंह साधव पुत्र श्री भोहरण साधव	शिवाजीसाहू, बाराहक, गान्धीपुर।	उपअध्यक्ष	सीकरी
5.	सहस्र साधव पुत्र श्री विठ्ठल साधव	विठ्ठलपुर, सीकरीपुर।	उपाध्यक्ष	रुपि
6.	सुभाष साधव पुत्र श्री रामेश्वर सिंह साधव	कानूनी, राष्ट्रपुत्र गान्धीपुर।	सदस्य	रुपि
7.	शारदासाहू सिंह साधव पुत्र श्री रामेश्वर साधव	गान्धीपुर, गान्धीपुर	सदस्य	रुपि
8.	जय प्रकाश साधव पुत्र श्री सुभाष साधव	सुभाषाशक, सीकरीपुर, गान्धीपुर	अध्यक्ष	रुपि
9.	शंकर साधव पुत्र श्री स्वयंभर साधव	कानूनी, रामपुर, गान्धीपुर	सदस्य	रुपि

4. इस दिनांक स्थिति अनुसार कार्य सम्पन्न करते पत्र एवं जलम मिलानों के अनुसार सीकरी एवं सीकरी एवं पत्र 21 सत 1880 के अनुसार कार्यालय करना चाहते है।

दिनांक = 11/10/2002 **राष्ट्र प्रतिनिधि** अध्यक्ष

नियमावली

1. संस्था का नाम - यशोदा महाविद्यालय।
2. संस्था का पता - ग्राम पावली पोस्ट लखीमपुर-केरला जिला जौनपुर।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण भारत प्रदेश।
4. संस्था की स्वरचना तथा स्वरचय के वर्ग -

आजीवन सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु स्वयं का/सिखाये काय से देण, या संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

सामान्य सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में अपना स्वयं ही या संस्था के विकास हेतु ४० ₹/ वार्षिक सदस्यता शुल्क निशुल्क पाठ्य किताबों की देण, जो वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे।

3. सदस्यता की शर्तें
1. पुरु हो जाने पर।
 2. पुरु या वीरालिङ हो जाने पर।
 3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
 4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग-पत्र प्रेषित होने पर।
 5. विधिवत रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
 6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
 7. नैतिक अपराध में संलग्न होकर अज्ञान होने पर।

संस्था के उपाध्यक्ष

6. संस्था के उपाध्यक्ष

- (अ) सामान्य तथा
- (ब) अल्पकालिकीय तथा



7. सामान्य तथा (के) पठन
1. सामान्य तथा का पठन कार्यक्रमों को आजीवन सदस्यता के विकास हेतु किया जायेगा।
 2. सामान्य तथा की सामान्य बैठक महीने में एक बार द्वितीय प्राथम्य होने के साथ महीने के बीच बुलाई जायेगी। किन्तु विशेष बैठक आवश्यकतापूर्वक किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

संस्था के उपाध्यक्ष
(क) बैठक
श्रीमती ललिता सिंह साहू

(ग) सूचना ज्वरि

सामान्य तथा की सामान्य बैठक के लिए सूचना 15 दिन पूर्व बुलाई जायेगी। अल्पकालिकीय बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

स्वास्थ्य सचिव
जय अनामिका

संस्था के अध्यक्ष

(अ) वसुधैव कुटुम्बकम् :-

संस्थागत तथा वी सामान्य व विशेष आवश्यक बैठक की वसुधैव कुटुम्बकम् के दो तिहाई उपस्थिति में पूर्ण गयी जायेगी ।

(ब) संस्था का वार्षिक अधिवेशन :-

संस्था का वार्षिक अधिवेशन सर्वे एवं सितम्बर के तिथि में शरीर में एवं एवं एप्रिल के 30 में सम्पदी जायेगी ।

(ग) साधारण सभा के कार्य :-

- 1- संस्था की प्रत्यक्षनिर्णय समिति द्वारा विचार के लिये भेजे गये प्रस्तावों सम्बन्धी जादि प्र विचार करना ।
- 2- संस्था की सामान्य नीति, उनको कार्यप्रणाली और नीतियों का निर्धारण करना ।
- 3- प्रत्यक्षनिर्णय समिति के प्रस्तावों/निर्णयों का निर्धारण करना ।
- 4- संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, आय व्यय का विवरण जादि उसे स्वीकार करना ।
- 5- संस्था के निम्न एवं विशेष में सम्बन्धित प्रकृतियों के लिये स्वीकृति प्रदान करना ।



4. प्रत्यक्षनिर्णय समिति :-

की संख्या :-

प्रत्यक्षनिर्णय समिति की संख्या 5 होगी । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपासचिव, वित्त सचिव, प्रचार सचिव, प्रशासन सचिव, प्रशिक्षण सचिव, प्रसंगिक अन्य सदस्य ।

उपसचिव (ब) बैठकें :-

प्रत्यक्षनिर्णय की सामान्य बैठक महीने में एक बार तथा विशेष आवश्यक बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

सुविधासचिव (ग) वसुधैव कुटुम्बकम् :-

प्रत्यक्षनिर्णय समिति की सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 2 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी ।

श्री जीव जादव
सामाजिक कार्य
वसुधैव कुटुम्बकम्

प्रत्यक्ष निर्णय की सामान्य व विशेष आवश्यक बैठक की वसुधैव कुटुम्बकम् के दो तिहाई उपस्थिति में पूर्ण गयी जायेगी ।

(क) निम्न निर्णयों की सुविधा प्रत्यक्षनिर्णय समिति में किसी भी उपस्थितियों एवं सदस्यों के स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा में दो तिहाई बहुमत द्वारा साधारण सभा में सदस्यों में से किसी योग्य सदस्य का निर्वाचन

2022/08/18/2022

सुजाति सुजाति
वसुधैव कुटुम्बकम्

Handwritten signature and date at the bottom right.

(iv) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य व अधिकार :-

1. संस्था के नए वर्ष के बजट का विचार कर उसे भीष्कृति प्रदान करना ।
2. संस्था के सुधार एवं ही समानता के लिये सम्मेलितियों का आयोजन करना ।
3. संस्था के वैयक्तिक कर्मचारियों एवं शिक्षकों की नियुक्ति, विमुक्ति, पदोन्नति, प्रवृत्तियों, प्रोत्साहन आदि के लिये निर्णय लेना ।
4. संस्था के काम-काज के वार्षिक विवरों को तैयार करना ।
5. संस्था के वीस का सम्भालन करना ।
6. संस्था के लिये नए अनुदान अर्थात् को प्राप्त करना ।
7. संस्था के अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार प्राप्त होगा ।

(v) कार्यकारण :-

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकारण प्रत्येक वर्ष 31 जून का होगा ।

क-प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष :-

1. संस्था का पूरा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों में सम्मेलन करना ।



2. संस्था के वित्तियोग्य प्रयोजनों के लिये को प्राप्त करना ।

3. संस्था के वैयक्तिक कर्मचारियों एवं शिक्षकों को नियुक्ति, विमुक्ति आदि के लिये निर्णय लेना ।

अध्यक्ष को अनुमतिवधि में उनके सम्बन्ध अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार प्राप्त होगा ।

उप-अध्यक्ष :-

1. संस्था के लिये नए अनुदान अर्थात् को प्राप्त करना तथा उसकी वांछा करीब देना ।

2. संस्था के वीसों को बुझाना तथा वीसों के प्रसार में वित्तियोग्य करना ।

3. संस्था के वैयक्तिक कर्मचारियों एवं शिक्षकों की नियुक्ति, विमुक्ति आदि के लिये निर्णय लेना ।

Handwritten signature and name in the left margin.

Handwritten text: 'संस्था के अध्यक्ष' and 'संस्था के अध्यक्ष'.

सत्य प्रतिलिपि

Handwritten signature.

Handwritten signature and name: 'सत्य प्रतिलिपि'.

Handwritten signature and name at the bottom right.

- 4. संस्था के वैयक्तिक कर्मचारियों एवं पेंशनार्थी की पदोन्नति व्यवस्थापित, वेतनवृद्धि आदि के लिये निर्दिष्ट होगा ।
- 5. संस्था के सामान्य व्ययोंको पत्र प्रकाशित करेगा ।
- 6. संस्था के सम्बन्धित संस्थाओं से सम्पर्क व्यवहित कर उससे पत्र आवाहान करेगा ।
- 7. संस्था के आग-व्यय के वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करेगा ।
- 8. संस्था के अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमानुसार प्रदत्त होगा ।

प्रशासनिक:-

वैयक्तिक:-

- 1- व्यवस्थापक की अनुपस्थिति में उनको संस्था अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमानुसार प्रदत्त होगा ।
- 2- संस्था के निर्देशों एवं सम्पत्तियों के लेख को तैयार करेगा ।
- 3- संस्था के वित्तक कार्यालयों को नियंत्रण ।
- 4- संस्था के आग-व्यय के वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करेगा तथा उसे वाकित करेगा ।
- 5- संस्था के अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियमानुसार प्रदत्त होगा ।



श्री. संस्था के निर्देशों एवं सम्पत्तियों के लेख को तैयार करेगा ।

व्ययोंको पत्र प्रकाशित करेगा ।

संस्था के वित्तक कार्यालयों को नियंत्रण ।

11. संस्था के आग-व्यय

संस्था को आग-व्यय मिली सम्पत्तियों का सा-मोस्ट अधिकार में संस्था के आग से पत्र प्रकाशित करेगा तथा नियंत्रण मिलकर व्यवहार प्रदत्त करेगा ।

12. संस्था के आग-व्यय का लेखा परिक्षण

संस्था के आग-व्यय का लेखा परिक्षण संस्था द्वारा नियुक्त अधिकार से कराया जायेगा ।

13. संस्था के अदाकारी कारीगरी एवं प्रतिनिधित्व

संस्था द्वारा अथवा उसमें विरुद्ध अदाकारी व्यवस्थाओं को सम्भालन का अधिकार संस्था के अधिकारों पर होगा । संस्था के अधिकारों सम्पत्तियों होगा ।

14. संस्था के अधिकार

- 1- कार्यकारी परिषद ।
- 2- संस्था के अधिकार

वैयक्तिक-साधक

श्री. संस्था के अधिकार

कुलाकिर गारुड

Handwritten signature and stamp at the bottom right.

3- सत्य प्रतिनिधि

4- सत्य प्रतिनिधि

15- सत्य प्रतिनिधि और विभिन्न संघों के निवास की प्रतियां-

सत्य प्रतिनिधि और विभिन्न संघों के निवास की प्रतियां सौंपावटी प्रतिबंधन 1952 (21) का भाग की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत सौंपावटी की जाएगी।

सत्य-प्रतिनिधि

दिनांक- 9.2.02

स्थान- _____

उपनिदेशक

सत्य प्रतिनिधि



उपनिदेशक

सत्य प्रतिनिधि

उपनिदेशक

सत्य प्रतिनिधि



